

सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भाएत

◀ 1-15 जनवरी, 2024 ◀ वर्ष : 1 ◀ अंक : 19

निःशुल्क प्रति

2047 तक आधुनिक और विश्व स्तरीय होगा

भारतीय पुलिस बल



पुलिस की सकारात्मक छवि से बेहतर होगी कानून प्रणाली



अनुक्रमणिका

नई परिपाटी : बदलते स्थान के साथ सशक्त होती सोच	12
बेहतर छवि और सामुदायिक पुलिसिंग है समय की मांग	24
गेस्ट कॉलम	26

विशेष रिपोर्ट



05

2047 तक आधुनिक और
विश्व स्तरीय होगा...



18

पुलिस बल को विकासशील
भारत की अपेक्षा...



22

अब एआई टूल से पुख्ता
होगी साइबर सुरक्षा

संपादक की कलम से...

दु

निया भर में प्रभावी और कुशल पुलिस बल अपने उन्नत उपकरणों, त्वरित कार्रवाई और सटीक खुफिया जानकारी के साथ-साथ लोगों की सेवा करने के लिए अपनी सहानुभूति और प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाते हैं। भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसे में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुलिस बल की विशेष जिम्मेदारी है।

5-7 जनवरी, 2024 को जयपुर में आयोजित 58वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के सम्मेलन में देश की पुलिस को मजबूत करने के लिए कई विषयगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

कई सत्रों में विभाजित, सम्मेलन में महत्वपूर्ण पुलिसिंग चुनौतियों पर मसलन-आतंकवाद विरोधी रणनीतियाँ, सीमांत क्षेत्रों की समस्याएँ, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध तथा राज्य और गैर-राज्य एक्टर्स से खतरे, एआई एवं डीपफेक आदि पर विचार-विमर्श किया गया। कट्टरवाद का मुकाबला करने, जेल के बुनियादी ढांचे, सीमा प्रबंधन, फर्जी पहचान पत्रों की जांच, मानव तस्करी के साथ-साथ परमाणु-रेडियोलॉजिकल आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई।

अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच से प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष रूप से इस सम्मेलन के लिए दो दिन निकाला और पुलिस को अधिक प्रभावशीलता के लिए मार्गदर्शन करने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने पूरे तीन दिनों तक सम्मेलन का संचालन किया। नशीले पदार्थों, साइबर अपराध और जांच के क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियों सहित विभिन्न विषयों पर बात की। सुरक्षा व्यवस्था को अधिक दुरुस्त करने की मंशा से प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने सम्मेलन के दौरान अनौपचारिक रूप से भी नवाचार पर बात की।

माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी व्यक्तिगत पहल पर यह सम्मेलन अब देश के कई स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है, ने कहा कि अब समय आ गया है कि पुलिस की मानसिकता में बदलाव के लिए 'डंडा' के बजाय 'डेटा' पर भरोसा किया जाए। उन्होंने नागरिकों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि को मजबूत करने और पुलिस-जनता साझेदारी के और अधिक तरीके तलाशने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने 'झोन दीदियों' के साथ संभावित सहयोग की बात की। उनका कहना था कि पुलिस के आधुनिक एवं विश्वस्तरीय बल में तब्दील होने से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा।

तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत और क्रियान्वयन पर विशेष रूप से दो पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि पुलिस को तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने रेखांकित किया कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो इस कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन में से प्रमुख बातों को लेकर 'सजग भारत' का यह अंक है। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमें लगातार मिल रही हैं। आपको यह अंक कैसा लगा, हमें sajag-bharat@bprd.nic.in पर सूचित करें।

जय हिंद!

महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

‘
प्रधानमंत्री ने कहा कि
पुलिस की मानसिकता में
बदलाव लाने का समय आ
गया है कि वह 'डंडा' के
बजाय 'डेटा' पर निर्भर रहे।
उन्होंने नागरिकों के बीच
पुलिस की सकारात्मक छवि
को मजबूत करने और
पुलिस-जनता साझेदारी के
और तरीके तलाशने की
आवश्यकता पर भी
जोर दिया।

,



Over the last two days, I took part in the DGsP/IGsP Conference. We had extensive deliberations on ways to make policing more modern and data oriented. We also discussed ways on furthering public safety and increasing connect with the people, especially in remote areas.



श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



हमें 2047 तक गरीब से गरीब व्यक्ति को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाने के श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वप्न को पूरा करने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है।



**श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**



विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए शुरु की गई #ViksitBharatSankalpYatra में मात्र 50 दिन के भीतर ही 10 करोड़ से अधिक देशवासी शामिल हो चुके हैं।



**श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री**



Glimpses of Day 1 of the All India DGsP/IGsP Conference session chaired by the Hon'ble Home Minister Shri@AmitShahJi. The session provided a fresh understanding of border management, cybercrime, other potent threats and distribution of medals to police officers for their meritorious service.



**Shri Nisith Pramanik
MoS, Ministry of Home Affairs**



प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने अपने लक्ष्मीप दौरे के दौरान कहा कि लक्ष्मीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, जो लोग दुनिया के अलग-अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं वहां के समंदर से अभिभूत हैं, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्ष्मीप आकर जरूर देखें।



**श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री**



केन्द्रीय गृह मंत्री ने आतंक संबंधी घटनाओं और घुसपैठ की घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट और कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की।



**गृह मंत्रालय
भारत सरकार**



2047

तक आधुनिक और विश्व स्तरीय होगा भारतीय पुलिस बल

व्यूरो

प्र

धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि देश की विकास यात्रा में पुलिस बल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुलिस को खुद को एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बल

में बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने ये विचार राजस्थान के जयपुर में 5-7 जनवरी, 2024 को आयोजित पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक के अखिल भारतीय सम्मेलन के दूसरे दिन व्यक्त किए।

यह वार्षिक सम्मेलन भारत के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण सभाओं में से एक है जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है।



अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का सम्मेलन चुनौतियों पर चर्चा करने और नई सुरक्षा रणनीतियों के विकास के लिए निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण 'थिंक टैंक' के रूप में विकसित हुआ है। यह शीर्ष नेतृत्व और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत के लिए वैश्विक समुदाय के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करता है।

5 जनवरी को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन में 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्री अमित शाह ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सम्मेलन एक 'थिंक टैंक' के रूप में उभरा है। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श से नई सुविधा मिलती है। इससे नई सुरक्षा रणनीतियों के निर्माण के साथ-साथ निर्णय लेने की जमीन तैयार होती है।

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आसूचना ब्यूरो (आईबी) के सहयोग से किया जाता है। यह पहली बार 12 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, जिसमें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने भाग लिया था। हाल के वर्षों में इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री बतौर अध्यक्ष उपस्थित होते हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से भी अनुभव साझा करके पुलिसिंग और सुरक्षा में

मौजूदा मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं।

इस साल के सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही सीमा प्रबंधन, कट्टरवाद विरोधी पहल, फर्जी पहचान दस्तावेजों से निपटना, जनजातीय मुद्दे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से उभरने वाली चुनौतियां पर मंथन हुआ। सोशल मीडिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल होने को लेकर भी चिंता जताई गई। सम्मेलन का एक प्रमुख एजेंडा तीन नए कानून के क्रियान्वयन के लिए रोडमैड तैयार करना भी था।

सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसे प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विविध धार्मिक समुदायों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की लंबी परंपरा वाले देश के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता का सुझाव दिया। उन्होंने कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण पर जोर दिया, जैसे युवा दिमागों को नयी दिशा



देने के लिए बुद्धिजीवियों को शामिल करना और परिवारों और बड़े सामाजिक समूहों को शामिल करना। कट्टरपंथ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उन्होंने सिविल सेवकों से भारत के संविधान के दायरे में इससे निपटने के तरीके खोजने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्य योजनाएं विकसित करने एवं समय-सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य स्तर पर विषय-विशिष्ट समितियों का गठन करके पिछले सम्मेलन में की गई सिफारिशों को व्यवस्थित रूप से लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने दो रात्रि प्रवास के साथ राज्य स्तरीय सम्मेलन तथा एक रात्रि प्रवास के साथ जिला स्तरीय बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन सभाओं को सभी सुझावों एवं सिफारिशों को जमीनी स्तर पर पुलिस कर्मियों तक प्रसारित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाना चाहिए।

वर्तमान आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि चुनौतियां समाप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने नया आकार और चेहरा ले लिया है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों और मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों की अलग कार्यप्रणाली विकसित हो गई है और यह वैश्विक हो गई है। उन्होंने प्रशासनिक और भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण विलंबित सीमा बाड़ लगाने की परियोजनाओं में तेजी लाने की जरूरत को रेखांकित किया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भी साल 2014 के बाद से देश के सुरक्षा परिदृश्य में हुए व्यापक सुधार की सराहना की। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में हिंसा में हुई कमी को बताया। साथ ही उन्होंने सीमा प्रबंधन, पुलिस की भूमिका और अंतर-एजेंसी

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारतीय पुलिस को खुद को आधुनिक बनाकर विश्व स्तरीय पुलिस बल बनाना होगा। पुलिस को अब 'डंडे' के साथ काम करने के बजाय 'डेटा' के साथ काम करने की जरूरत है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

समन्वय में उभरती चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शत्रु तत्वों द्वारा प्रौद्योगिकी के बढ़ते दुरुपयोग, अवैध घुसपैठ में वृद्धि और परिणामी जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जैसी एजेंसियों को विदेश में जांच करने की क्षमता प्रदान की गई है। एनआईए अधिनियम और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम दोनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इससे विदेशों में छिपे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

सम्मेलन में समुद्री और तटीय सुरक्षा सहित सीमा सुरक्षा से संबंधित उभरती समस्याओं और विभिन्न एजेंसियों के सुचारु कामकाज में बाधा डालने वाली संरचनात्मक और कानूनी विसंगतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और उन्हें ठीक करने के उपाय बताए गए। इसमें भारतीय पहचान दस्तावेजों को धोखाधड़ी से जारी करने पर रोक लगाने के



तरीके सुझाए गए और मानव तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी, बेनामी संपत्ति लेनदेन, जाली पासपोर्ट और अन्य सरकारी लाइसेंस जारी करने जैसे विभिन्न अवैध उद्देश्यों के लिए जाली दस्तावेज जारी करने में धोखेबाजों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय पहचान दस्तावेजों की संख्या सीमित करने, संबंधित हितधारकों द्वारा समन्वित कार्रवाई, पहचान दस्तावेजों का अनिवार्य ऑनलाइन सत्यापन और दस्तावेजों के अवैध जारी होने की रिपोर्ट करने के लिए व्हिसलब्लोअर तंत्र की स्थापना और सुदृढीकरण के संबंध में सुझाव दिए गए।

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक के इस बार के सम्मेलन में जेलों में बुनियादी ढांचे का विकास भी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा था। प्रतिनिधियों ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में परिकल्पित प्रावधानों को लागू करके भविष्य की जेलें बनाने के बारे में बात की। गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया, ताकि अन्य राज्य उनका अनुकरण कर सकें।

जनजातीय मामलों पर आयोजित सत्र में जनजातीय समुदाय के सामने आने वाले विभिन्न सामाजिक, पहचान और आर्थिक मुद्दों एवं

देशभर से सहभागिता

सम्मेलन में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों/ पुलिस महानिरीक्षकों और केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों आदि ने भाग लिया। सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। जिसमें देश भर के विभिन्न स्थानों से विभिन्न रैंकों के 500 से अधिक पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा की गई। इनमें नव अधिनियमित प्रमुख आपराधिक कानून, आतंकवाद विरोधी नीतियां, वामपंथी कट्टरपंथ, उभरते साइबर खतरे, दुनिया भर में कट्टरवाद विरोधी उपाय आदि शामिल हैं।

चुनौतियों को रेखांकित किया गया। विमर्श के दौरान इस पर बात

हुई कि कैसे आदिवासी एवं गैर-आदिवासी ऐतिहासिक रूप से एक साथ अस्तित्व में रहे और समृद्ध हुए। चर्चा में अलग धर्म कोड, अलग प्रशासनिक प्रणाली और उनकी भाषाओं एवं लिपियों की मान्यता की मांग शामिल थी। कहा गया कि आदिवासी अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग के अलावा किसी अन्य समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का विरोध कर रहे थे। आदिवासी मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, सत्र में आदिवासी एवं गैर-आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाने, उनकी छोटी-छोटी मांगों को मान्यता देने, सरकारी पहलों को प्रचारित करने और आदिवासी नेताओं के साथ बातचीत बढ़ाने का सुझाव दिया गया।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस अधिकारियों को पांच आयामी दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया। इनमें माओवादी नेतृत्व को निशाना बनाना, उनके गढ़ों को नष्ट करना, सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना, वामपंथी चरमपंथियों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को उखाड़ फेंकना और आदिवासी क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को तेज करना शामिल था।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने वक्तव्य के दौरान आगाह किया कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा अभियान तेज होने के साथ, माओवादी कैडर पड़ोसी राज्यों में शरण ले सकते हैं, जिससे नक्सल प्रभाव के नए क्षेत्र बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस बलों और

राष्ट्रीय जांच एजेंसी को विदेश में जांच करने की क्षमता प्रदान की गई है। एनआईए अधिनियम और गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) दोनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इससे विदेशों में शरण लेने वाले अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

खुफिया तंत्र को इन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने और अधिक कर्मियों को तैनात करने की जरूरत है। इसके अलावा, माओवादी प्रभाव से मुक्त किए गए क्षेत्रों को भी उनके पुनरुत्थान को रोकने के लिए निगरानी में रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

हाल के वर्षों में जिस प्रकार से कई बार सोशल मीडिया का एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, कई घटनाओं में टूल किट





की कहानी सामने आती है, उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चिंता जताई। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से कानून-व्यवस्था को बाधित करने के प्रयासों पर मणिपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ केस अध्ययनों का हवाला दिया गया। पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने विभिन्न समूहों द्वारा किए गए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के प्रतिकूल उपयोग को रेखांकित किया और राज्य पुलिस द्वारा अपनाए गए जवाबी उपायों के बारे में बताया। परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात का उदाहरण दिया, जहां राज्य और केंद्रीय सुरक्षा संगठनों जैसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पुलिस अधिकारियों के बीच बैठकें हुईं। इस

प्रतिभा को सम्मान

तीन दिवसीय सम्मेलन के समापन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया। जयपुर में आयोजित तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन का समापन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। उन्होंने देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफी भी प्रदान की।



तरह की बातचीत दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होती है, इस बात पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रत्येक राज्य में जिला स्तर के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया। उनका दृष्टिकोण था कि इस प्रकार की सभाएं राज्य के अधिकारियों को केंद्रीय संगठनों से सीखने एवं संपर्क में आने का अवसर प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने अगले सम्मेलन तक पर्याप्त प्रगति की उम्मीद व्यक्त करते हुए, राज्य के पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों को एक कार्यान्वयन योजना विकसित करने और इस पहल पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक समिति स्थापित करने का निर्देश दिया।

इस वर्ष पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक का सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह संसद से नए आपराधिक कानूनों

के पारित होने के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री के अनुसार, 'नागरिक प्रथम' की भावना के साथ 'गरिमा प्रथम एवं न्याय प्रथम' आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव लेकर आया है। इसलिए, शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री ने उनसे नए अधिनियमित कानूनों के पीछे की भावना को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने और उनके कार्यान्वयन में मदद करने के लिए कल्पनाशील रूप से सोचने के लिए कहा। इस उद्देश्य के लिए 'नए आपराधिक कानून: मुख्य विशेषताएं और कार्यान्वयन रोडमैप' नामक एक विशिष्ट सत्र था। विमर्श के दौरान समयबद्ध सुनवाई के माध्यम से त्वरित न्याय प्रदान करने सहित नए कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हितधारकों को नए आपराधिक कानूनों का सार आम नागरिक तक पहुंचाने का निर्देश देते हुए सेमिनार, कार्यशाला, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, चर्चा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी विशेषज्ञों की मदद से प्रत्येक जिले में जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि नए कानूनों के बारे में जानकारी भौतिक और डिजिटल माध्यमों से प्रसारित की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नए अभियान - 'एक दिन, एक विश्वविद्यालय' के तहत, विश्वविद्यालयों में नए आपराधिक कानूनों पर व्याख्यान देने के लिए सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए।

पुलिस की मौजूदा क्षमता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने महिला आबादी को नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदान किए गए उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने प्रतिनिधियों से नए कानूनों के बारे में महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण निर्धारित करने का आग्रह किया। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), आंगनबाड़ियों, आशा कार्यकर्ताओं और नर्सों को कवर करने वाले कार्यक्रमों का भी सुझाव दिया। उन्होंने पुलिस से महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने एवं यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि वे 'कभी भी और कहीं भी' निडर होकर काम कर सकें।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने घोषणा की कि सभी नगरपालिका क्षेत्रों में पुलिसिंग की एक सामान्य प्रणाली स्थापित करने के लिए 'शहरी पुलिसिंग' पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ताकि न केवल महिलाओं बल्कि सभी कमजोर लोगों का असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखा जा सके।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए 'अध्ययन समूह' बनाए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उभरते सुरक्षा परिदृश्य और नए आपराधिक कानूनों को संबोधित करने की दृष्टि से उच्चतम रैंक से लेकर निम्नतम संरचनाओं तक के अधिकारियों को आगे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, कारण वे संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार और डेटा रखरखाव में शामिल हैं। ■



नई परिपाटी बदलते स्थान के साथ सशक्त होती सोच

प्रधानमंत्री के सुझाव पर वार्षिक महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का सम्मेलन
पहली बार 2014 में नई दिल्ली के बाहर किया गया।

ब्यूरो

ज

ब श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने विभिन्न जिलों में कैबिनेट बैठकें आयोजित करने की एक अनूठी परंपरा स्थापित की। इस दृष्टिकोण में

कैबिनेट बैठक से पहले राज्य मशीनरी के महत्वपूर्ण तंत्र को एक चयनित जिला मुख्यालय में स्थानांतरित करना और उसके समापन के बाद वापस लौटना शामिल था। इसके परिणामस्वरूप अक्सर सड़कों का सुधार और नवीनीकरण हुआ। चुने हुए जिले के बुनियादी ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैबिनेट की बैठकों से पुलिस बल



अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक सम्मेलन - 2023

जनवरी 5-7, 2024
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर

ALL INDIA CONFERENCE OF DIRECTOR GENERALS / INSPECTOR GENERALS OF POLICE-2023

January 5-7, 2024

Rajasthan International Centre, Jaipur



2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है। वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति-निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का अवसर मिलता है।

में भी सतर्कता बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और अपने जिलों में ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करने के गुजरात सरकार के फैसले से गर्व और स्वीकार्यता महसूस की।

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, श्री मोदी ने वार्षिक पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक के सम्मेलन के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया। उनके सुझाव पर, सम्मेलन का स्थान 2014 में पहली बार दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया और गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया।

कई मायनों में यह सम्मेलन अद्वितीय है। यहां पूरी गोपनीयता के साथ कई संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है।

कार्ययोजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में कई अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के एक साथ रहने और विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी संयुक्त भागीदारी से 'एस्पिरिट डी कॉर्प्स' (एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की जाने वाली आपसी वफादारी की भावना) पैदा हुई है। उनके बीच अनौपचारिक बातचीत का अवसर उपलब्ध हुआ है। लंच-डिनर के टेबल पर और यहां तक कि लंच ब्रेक के दौरान भी चर्चाएं जारी रही हैं।

भारतीय प्रशासनिक इतिहास में पहली बार जब 30 नवंबर, 2014 को असम की राजधानी गुवाहाटी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सम्मेलन को



पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन कानून प्रवर्तन नीतियों की रणनीति बनाने और कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए इसे देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित करने का निर्णय किया गया है। सम्मेलन को विभिन्न जगहों पर आयोजित करने का निर्णय रणनीतिक है ताकि इसकी व्यापकता बढ़े और लोगों को लाभ मिले। यह एक दूरदर्शी रणनीति है, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए जरूरी है। यह नया दृष्टिकोण कानून प्रवर्तन के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

नई दिल्ली में आयोजित करने की परंपरा बंद कर इसे गुवाहाटी में स्थानांतरित करने से हर कोई आश्चर्यचकित नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि जब बैठक राष्ट्रीय राजधानी में होती थी, तो प्रतिनिधियों के यात्रा कार्यक्रम में अन्य व्यस्तताएं होती थीं। सम्मेलन को नई दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने के साथ, मुझे यकीन है कि आप एक-दूसरे के साथ मिल गए होंगे और इस आयोजन की गतिविधियों

पर ध्यान केंद्रित किया होगा।

दरअसल, पुलिस महानिदेशक /महानिरीक्षक सम्मेलन शीर्ष पुलिस अधिकारियों को एक मंच पर एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। कानून प्रवर्तन नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में रणनीति बनाने के लिए आधारशिला के रूप में काम करता है, इसलिए इसे विभिन्न स्थानों पर आयोजित करने का अभिनव निर्णय एक



रणनीतिक कदम है, जो कई फायदे प्रदान करता है।

स्थानीय विशेषज्ञता और नवाचारों का लाभ उठाना

सम्मेलन स्थल को स्थानांतरित करने के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए संवेदनशीलता बढ़ाना था। इसके अलावा, इस कदम ने सम्मेलन को अधिक गहराई के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया। इससे विशिष्ट स्थानीय चुनौतियों और खतरों के अनुरूप चर्चा की अनुमति मिली, जिससे जमीन पर अधिक प्रभावी कानून प्रवर्तन रणनीतियों को बढ़ावा मिला।

वर्ष 2014 के सम्मेलन में, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर सबसे अधिक फोकस था। इसी तरह, जब वर्ष 2015 में गुजरात के कच्छ के रण में सम्मेलन हुआ, तो ध्यान पश्चिम और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी था।

स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना

देश के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव चुने गए स्थानों पर महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ की प्रत्याशा से प्रेरित था। उच्च-रैंकिंग अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित उपस्थित लोगों की उपस्थिति से स्थानीय होटलों, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यवसाय में वृद्धि होती है।

जब देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक का सम्मेलन आयोजित करने की सलाह दी गई, तो यह समझा गया



सार्वजनिक सोच और विश्वास को बढ़ाना

जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 के पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक सम्मेलन में कहा था, 'सिस्टम जीवंत होना चाहिए', इस तरह की सभाएं विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को अन्य क्षेत्रों में अपने समकक्षों की चुनौतियों और दृष्टिकोण का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती हैं। यह प्रदर्शन आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है और उनके बीच सौहार्द, जो एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस महानिदेशक का सम्मेलन की दृश्यता भी पुलिस बल में जनता की धारणा और विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जनता को अपराध से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस नेतृत्व के प्रयासों और समर्पण को प्रत्यक्ष रूप से देखने की अनुमति देता है। सामुदायिक विश्वास और सहयोग के निर्माण के लिए ऐसी पारदर्शिता और पहुंच आवश्यक है, जो प्रभावी पुलिसिंग के लिए मूलभूत हैं। इस प्रकार, देश भर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय एक दूरदर्शी रणनीति है, जो कई लाभ लाने का वादा करती है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अभिनव दृष्टिकोण भारतीय कानून प्रवर्तन और बड़े पैमाने पर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

कि चुने गए स्थानों पर इसका आर्थिक प्रभाव भी काफी होगा। उच्च-वरीय अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित आगंतुकों की आमद, स्थानीय होटलों, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में

व्यापार लाती है। यह आर्थिक प्रोत्साहन स्थानीय विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं तक फैला हुआ है, जो बढ़ती मांग से लाभान्वित होते हैं। इस तरह के आयोजन मेजबान शहर या क्षेत्र को भी सुखियों में ला सकते



हैं। भविष्य के पर्यटन और व्यावसायिक निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

2014 से बदलते स्थान

वर्ष	सम्मेलन स्थल
2014	गुवाहाटी, असम
2015	कच्छ का रण, गुजरात
2016	हैदराबाद, तेलंगाना
2017	टेकनपुर, मध्य प्रदेश
2018	केवडिया, गुजरात
2019	पुणे, महाराष्ट्र
2020	कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल
2021	लखनऊ, उत्तर प्रदेश
2023	नई दिल्ली (2022 का सम्मेलन)
2024	जयपुर, राजस्थान (2023 का सम्मेलन)

भारत में प्रत्येक क्षेत्र में सम्मेलन कक्षों से परे अपनी अनूठी कानून प्रवर्तन चुनौतियाँ और नवाचार हैं। विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन आयोजित करने से स्थानीय पहलों को प्रदर्शित करने का एक अद्वितीय अवसर मिलता है। ज्ञान और प्रथाओं का यह आदान-प्रदान देश भर में नवीन पुलिसिंग तकनीकों और रणनीतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारियों की समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। ■



पुलिस बल को विकासशील भारत की अपेक्षा के अनुरूप ढलने की जरूरत



ब्यूरो

पु

लिसिंग एक सामाजिक और विकासात्मक कार्य है, जो सीधे तौर से जनता के साथ जुड़ा है। यह केवल अपराध के खिलाफ लड़ाई में नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुलिस विभाग के सदस्यों को अपने क्षेत्र में व्यवस्था और कानून की स्थिति को बनाए रखने के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं

पिछले पांच वर्षों में, 9,000 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है और भारतीय संविधान को पूरे दिल से स्वीकार किया है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री



को समझने और समाधान के लिए भी तैयार रहना होता है। पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक के सम्मेलन में प्रधानमंत्री इस आशय को लेकर बीते कुछ वर्षों से अपने विचार रख रहे हैं। उनका मानना है कि पुलिस को जनता के साथ निकटता बनाए रखने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।

इसके अलावा, पुलिसिंग विभाग को समाज में संचार के लिए भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें जनता को अपने कार्यों और नीतियों के बारे में समय-समय पर सूचित करना चाहिए, ताकि जनता और पुलिस के बीच विश्वास और समझ बढ़े। समाज के विकास में, पुलिसिंग का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, इसके लिए पुलिसकर्मियों को सक्रिय रूप से समाज में शामिल होने की जरूरत होती है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान शीर्ष पुलिस अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि पुलिस अलग-थलग रहकर काम नहीं कर सकती है। आपको विकासशील भारत की जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालना होगा। उन्होंने पुलिस बल की छवि बदलने के महत्व पर भी जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन को सोशल मीडिया की उपस्थिति बनाए रखने की बात कही। उनके अनुसार, सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पुलिस को अपने मानवीय प्रयासों और अच्छे कार्यों का प्रदर्शन करना चाहिए। पुलिस को विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने और उनके सुझाव लेने का भी सुझाव दिया कि उन्हें अधिक लोगों के अनुकूल बनने के लिए क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने पुलिस से इस बारे में सोचने का आग्रह किया कि अपने पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर पुलिस-जनता संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए। स्वयं के अनुभवों पर विचार

करते हुए, उन्होंने कुछ उपाय प्रस्तावित किए और कहा कि पुलिस स्टेशनों को लड़कों और लड़कियों के लिए खेल प्रतियोगिताएं और ऐसी अन्य गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन गतिविधियों में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को शामिल करने से युवा पीढ़ी के साथ संबंध बढ़ाने और खुफिया नेटवर्क को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को शामिल करके नशीली दवाओं की तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के एक आदिवासी गांव का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि वहां पूरा समुदाय फुटबॉल खेलता है और इसलिए इसे 'मिनी-ब्राजील' कहा जाता है। फुटबॉल के कारण इस गांव में नशे की लत नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस को अन्य स्थानों पर भी ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पुलिस को स्थानीय उत्सव प्रबंधन में एनसीसी और एनएसएस कैडेटों को शामिल करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेरा भारत' पोर्टल (<https://mybharat.gov.in/>) के बारे में बात की, जहां एक करोड़ से अधिक लोग पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने पुलिस से इस पोर्टल से युवाओं को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने के लिए संसाधन भी खोजने को कहा। युवाओं से जुड़ने के लिए 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने के फैसले के बारे में भी बताया।

प्रधानमंत्री, श्री मोदी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कुछ चुनिंदा आगंतुकों तक बातचीत सीमित करने के बजाय विविध पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया। बेहतर सहयोग और विश्वास के लिए पुलिसिंग कार्यों में समुदाय को शामिल करने के तरीके खोजने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ग्रामीणों को नई दिल्ली में आमंत्रित करने और केंद्रीय मंत्रियों के दूर-दराज के सीमावर्ती गांवों में रुकने के महत्व



पर भी प्रकाश डाला। ये पहल स्थानीय आबादी के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह भी सुझाव दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से पुलिस स्टेशनों का दौरा करना चाहिए। इससे उन्हें अपने कनिष्ठ सहयोगियों से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी। ये दौरे न केवल अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं, बल्कि जनता के सामने आने वाले मुद्दों की समझ भी बढ़ाते हैं। जनता में एक अलग विश्वास भी पनपता है। इसके अलावा, जमीनी स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी से पुलिस कर्मियों में आत्मविश्वास पैदा होगा।

प्रधानमंत्री ने सरकारी नीतियों को लागू करने में सार्वजनिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 संकट से प्रभावी ढंग से निपटने का हवाला दिया। पुलिस-जनता संबंधों पर अपने सुझावों में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे महिलाओं के लिए सुरक्षित

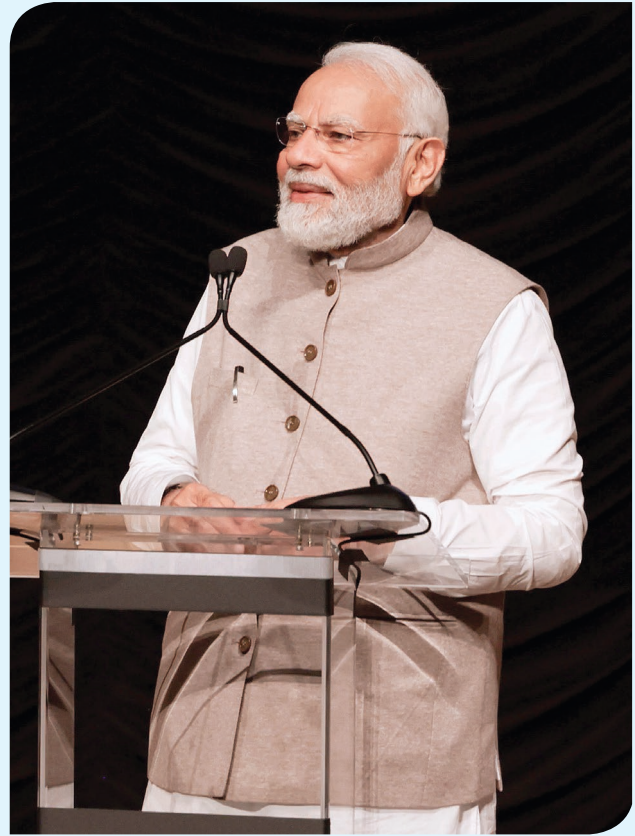
कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का माहौल बनाकर महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने यह भी कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में पुलिस को लोगों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने होंगे। प्रधानमंत्री के अनुसार, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हाल के चुनावों में आदिवासी समुदायों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके विश्वास को दर्शाता है।

विकास कार्यक्रम इन क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं, जिससे विकास को बढ़ावा मिला है। पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह) कॉलोनियों के विकास के लिए 'पीएम जन मन योजना' के संदर्भ में, उन्होंने आदिवासी समाज पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में आशा व्यक्त की। सम्मेलन के दौरान 'सीमा प्रबंधन में उभरती चुनौतियां-पुलिस की भूमिका और अंतर-एजेंसी समन्वय' विषय पर एक अलग सत्र में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने पुलिस-सार्वजनिक



दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापना को लेकर कुछ उदाहरण दिए। इन क्षेत्रों में हिंसात्मक गतिविधियों में 63 प्रतिशत की कमी और फैटेलिटी में 73 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। साथ ही हिंसक घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई। बिहार, झारखंड का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ये दोनों राज्य पूरी तरह से माओवादी प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के अब केवल चार जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने 2023 में मंत्रालय की कई उपलब्धियों की भी सराहना की, जैसे पूर्वोत्तर के दो महत्वपूर्ण विद्रोही समूहों-यूपएनएलएफ और उल्फा-को शांति प्रक्रिया में लाना। पिछले पांच वर्षों में, विभिन्न विद्रोही समूहों के 9,000 से अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने अधिकारियों से इन चुनौतियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया, साथ ही यह सुनिश्चित



वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कुछ चुनिंदा लोगों तक बातचीत सीमित करने के बजाय विविध पृष्ठभूमि के लोगों तक पहुंचना चाहिए। बेहतर सहयोग और विश्वास के लिए पुलिसिंग कार्यों में समाज को शामिल करने के तरीके खोजने का प्रयास करें।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

करने का भी आग्रह किया कि आदिवासी कल्याण सबसे आगे होना चाहिए। उन्होंने पिछले नौ वर्षों के दौरान देश भर में ₹22,000 करोड़ मूल्य की 4 लाख किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त करने के लिए पुलिस बलों के प्रयासों की सराहना की, जो स्थानीय निवासियों द्वारा दिए गए इनपुट पर आधारित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने उन विरोधी ताकतों के बारे में भी आगाह किया जो भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रतिकूल हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि आर्थिक नीति उपायों के कारण भारत वर्ष 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री शाह ने कहा, यह वृद्धि नई चुनौतियां लाएगी, क्योंकि शक्तिशाली ताकतें प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करेंगी। ऐसे में पुलिस को पिछले एक दशक में हुई प्रगति को सुरक्षित रखने के लिए जनता के साथ मधुर संबंध बनाए रखने होंगे। ■



ब्यूरो

यदि पुलिस औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरह से सार्वजनिक और व्यक्तिगत संचार के आधुनिक उपकरणों में अभ्यस्त नहीं है, तो वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। यह उन प्रमुख विषयों में से एक था, जिस पर जयपुर में हुए पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी की पुलिस को अपराधियों की बदलती रणनीतियों और मानसिकता को समझने के लिए संचार के आधुनिक उपकरणों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपराधियों द्वारा दुरुपयोग की जाने वाली उभरती प्रौद्योगिकियों का व्यापक ज्ञान पुलिस को एक नए अवतार में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पुलिस की मानसिकता 'डंडा' पर निर्भर होने के बजाय 'डेटा' पर निर्भर होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पुरानी प्रथाओं को छोड़कर नई तकनीकों को अधिक प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस संदर्भ में, उन्होंने क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक को अपनाने से पुलिस न केवल अपराध की रोकथाम में अधिक सक्षम होगी, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वार्षिक पुलिस अधिकारियों की बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डीपफेक और साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने वास्तविक समय में भाषा अनुवाद और नागरिकों के प्रश्नों के समाधान के लिए 'भाषिनी' ऐप का उदाहरण देते हुए पुलिस स्टेशनों को अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए एआई टूल का उपयोग करने का सुझाव भी दिया।

अब एआई टूल से पुख्ता होगी साइबर सुरक्षा

आज की उभरती दुनिया में, भौतिक और आभासी सुरक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्तमान आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। नशीले पदार्थों के व्यापार और मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों की कार्यप्रणाली साइबर प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण विकसित और वैश्विक हो गई है। हालांकि, भौतिक सुरक्षा आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा बाड़ लगाने की उन परियोजनाओं में तेजी लाने की भी जरूरत है, जो प्रशासनिक एवं भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण विलंबित हो गई हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वर्तमान में पुलिस बल के सामने कई समस्याएं हैं, जिनसे पार पाना है। असामाजिक तत्व लगातार नए तरीके अपनाकर अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वे अक्सर अपना नाम, तरीके और रूप बदल लेते हैं। इसलिए, शुरुआत से ही इन तत्वों से निपटने के लिए उचित योजना और त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने पुलिस को उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने और आधुनिक तकनीकों और रणनीतियों को अपनाने की सलाह दी। साथ ही पुलिस बल को प्रशासनिक

रासायनिक और परमाणु खतरों

समय की मांग है कि रासायनिक और परमाणु खतरों को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जाए। किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए व्यवस्था दुरुस्त हो। 2-3 दिसंबर, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक अपर्याप्त सुसज्जित पुलिस बल उस समय स्थिति



डिजिटल स्थान को सुरक्षित करने के लिए साइबर कमांडो द्वारा साइबर गश्त सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि इस दिन और युग में केवल भौतिक सीमाओं पर पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



खजाने को सुरक्षित करने की तुलना में डिजिटल सामान को सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण मसला बन गया है। डेटा-संचालित दृष्टिकोण को लागू करने और प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए युवा अधिकारियों के एक टीम की आवश्यकता है।

**श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

बाधाओं को दूर करने और तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

नेशन-स्टेट एक्टर्स की ओर से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना पर उभरते साइबर खतरों और उन्हें कम करने की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। इसने एक मॉडल साइबर सुरक्षा नीति की स्थापना का सुझाव दिया, जिसके तहत सभी राज्यों में अपनी ऑडिट और फोरेंसिक क्षमता बढ़ाने और साइबर प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन के बाद, एक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें एआई उपकरण चैटजीपीटी, एआई सक्षम अपराध और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस सत्र में डीपफेक, डेटा चोरी और जेनरेटिव एआई के नए खतरों, शीघ्र इंजेक्शन, डेटा रिसाव, यथार्थवादी छवि निर्माण और साहित्यिक चोरी जैसी सुरक्षा चुनौतियों का अवलोकन

प्रदान किया। प्रतिभागियों ने साइबर हमलों के प्रति आईओटी उपकरणों की संवेदनशीलता को भी उजागर किया और उनसे निपटने के लिए कुछ उपायों पर प्रकाश डाला। इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने डिजिटल स्थान को सुरक्षित करने के लिए साइबर कमांडो द्वारा साइबर गश्त के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भौतिक सीमाओं पर पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। संयोग से पिछले सम्मेलन के दौरान साइबर कमांडो की पहचान कर उनके प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पुलिस बल की बेहतरी के लिए इन निदेशों को ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी संबंधित एजेंसियों को शामिल करते हुए वास्तविक समय में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वित कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने साइबर स्पेस में दुर्भावनापूर्ण सामग्रियों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एआई टूल के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रत्येक राज्य में एक सुरक्षा संचालन केंद्र और नेटवर्क संचालन केंद्र की स्थापना की वकालत की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पुलिस स्टेशन और जेल डेटा के भंडार के रूप में काम करते हैं, जिनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसे राज्यों के बीच साझा किया जाना चाहिए, ताकि अपराध पैटर्न की अधिक प्रभावी ढंग से भविष्यवाणी करने में मदद मिल सके। इंटरनेट पर गलत सूचना की पहचान करने में सक्षम एआई टूल का विकास सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करना एक आवश्यक जिम्मेदारी है कि व्यक्तिगत डेटा के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ उनकी गोपनीयता भी सुरक्षित रहे। ■

को कम करने पर जोर

को संभालने में सक्षम नहीं था। उन्होंने आपदाओं की तैयारी के लिए प्रोटोकॉल और अभ्यास बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करके, आवश्यक प्रोटोकॉल अपनाने और नियमित रूप से अभ्यास आयोजित करके भविष्य की आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रहने का आग्रह किया।

बेहतर छवि और सामुदायिक

सामुदायिक पुलिसिंग एक ऐसा मॉडल है, जो पुलिस और समुदाय के बीच साझेदारी को मजबूत करने और सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए आपसी सहयोग पर आधारित है। इसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ समुदाय में विश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है।

ब्यूरो

स

माज में जिसकी जैसी छवि बनी रहती है, उसके अनुसार ही असर भी होता है। पुलिस की छवि को पहले से अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता पर कई मंचों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कहते आ रहे हैं। बीते वर्षों में हुए पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन में इस पर व्यापक विचार-विमर्श भी हुआ है। अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों के बीच पुलिस की सकारात्मक छवि को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने तीन नए आपराधिक कानून में नागरिक केंद्रित कानून का उल्लेख करते हुए इस बात को समझाया भी।

प्रधानमंत्री का मानना है कि जब लोगों में पुलिस की छवि पहले से अधिक सहयोगी और मानवीय होगी, तो समाज में आपराधिक घटनाएं कम हो सकती हैं। समाज में शिक्षा का प्रचार-प्रसार पहले से अधिक हो रहा है। सूचनाओं का आदान-प्रदान अधिक तेजी से हो रहा है। इंटरनेट का उपयोग हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में कोई बात किसी से न तो छिपी रहती है और न ही बहुत अधिक देर तक उसे एक ही क्षेत्र विशेष में रोक कर रखा जा सकता है।

सामुदायिक पुलिसिंग में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है। वे पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा और अपराध निवारण के उपायों पर काम करते हैं। पुलिस समुदाय के साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं की पहचान करती है और उनके समाधान के लिए योजनाएँ बनाती है। पुलिस और समुदाय मिलकर निवारक उपायों को अपनाते हैं, जिससे अपराधों को पहले से रोका जा सके। सामुदायिक पुलिसिंग का मॉडल न केवल अपराध नियंत्रण में प्रभावी है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा की भावना को भी बढ़ावा देता है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, जो पुलिस और समुदाय के बीच मजबूत साझेदारी पर आधारित है।

पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नागरिकों को



सुरक्षा उपायों, आपराधिक घटनाओं और आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कई पुलिस विभागों ने मोबाइल एप्स विकसित किए हैं, जिनके माध्यम से नागरिक शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री अमित शाह अपने वक्तव्यों में अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए जनता से संवाद बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। कई सम्मेलनों में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इंटरनेट मीडिया से जरूरी जानकारी तो लें, लेकिन उसका हिस्सा न बनें। इसको लेकर सतर्कता बरतने की सलाह भी दी थी। पुलिस पर कार्रवाई न करने या अतिरिक्त कार्रवाई करने के लगने वाले आरोपों से अलग हटकर सही और जरूरी कार्रवाई करने वाली

पुलिसिंग है समय की मांग

छवि विकसित की जाए। सही और जरूरी कार्रवाई का मतलब स्वाभाविक कार्रवाई होती है, जो हर किसी की समझ में आ जाती है। पुलिस कानून जानती है, इसलिए वह उसके दायरे में रहते हुए सही लगने वाला कार्य कर सकती है। इसलिए अपनी छवि को बेहतर बनाने का कार्य खुद पुलिसकर्मी ही कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने जयपुर में हुए पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नई आपराधिक कानूनों के पीछे की भावना नागरिकों तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री ने नागरिकों के लाभ के लिए सकारात्मक जानकारी और संदेश प्रसारित करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर पर सोशल मीडिया के उपयोग की सलाह भी दी। उन्होंने नागरिक-पुलिस संपर्क को मजबूत करने के तरीके के रूप में विभिन्न खेल कार्यक्रम आयोजित करने का भी सुझाव दिया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पुलिस मिशन मोड में इस प्रकार के काम कर रही है। अपनी छवि को बेहतर बनाने के साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच अधिक से अधिक अपनी पहुंच बना रही है। पुलिस बल की समुदाय तक पहुंच बढ़ाने और सकारात्मक छवि निर्माण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य पुलिस और नागरिकों के बीच भरोसे और सहयोग को बढ़ावा देना है। बीट पुलिसिंग के तहत पुलिस अधिकारी नियमित रूप से अपने बीट क्षेत्र में गश्त करते हैं और स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत करते हैं। यह तरीका पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास को बढ़ाता है और स्थानीय समस्याओं को जल्दी हल करने में मदद करता है।

पुलिस अधिकारियों द्वारा स्थानीय निवासियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। ताकि वे उनकी समस्याओं और चिंताओं को सुन सकें और उनका समाधान कर सकें। पुलिस मित्र कार्यक्रम के तहत स्थानीय नागरिकों को पुलिस मित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो पुलिस को स्थानीय मुद्दों के बारे में सूचित करते हैं और पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, लोग सीधे अपनी शिकायतें और समस्याएँ पुलिस के सामने रख सकते हैं। पुलिस अधिकारियों को सीमावर्ती गांवों में रहने और स्थानीय लोगों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पहले की तुलना में लोगों के बीच पुलिस की पहुंच अधिक हुई है। इसके लिए कई विभाग और संस्थाएं लगातार काम कर रहे हैं। सात अक्टूबर, 2023 को जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इसको लेकर बात की थी। कानून-व्यवस्था की अच्छी स्थिति ही विकास के लिए पहली शर्त है। उनका कहना था कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के चार्टर में समुद्री सीमा प्रबंधन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस



पुलिस की छवि में सुधार के लिए 'संवाद और संवेदना' जरूरी है, इसीलिए सभी पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के साथ ही जनता के साथ संवाद और जनसम्पर्क बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

बल का क्षमता निर्माण, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, पुलिस की छवि और पुलिस समुदाय इंटरफेस के साथ और कई चीजों को जोड़ा गया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों और साधनों के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इसी सम्मेलन में यह बात भी सामने आई थी कि उत्तराखण्ड पुलिस ने विभिन्न एप्लिकेशन्स लांच किए हैं, जिनके द्वारा प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। ऑपरेशन मुक्ति भीख मांगने कचरा इकट्ठा करने तथा अन्य छोटे काम करने को बाध्य बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के साथ ही इस अभियान के ध्येय वाक्य 'भिक्षा नहीं शिक्षा दें' को सार्थकता प्रदान की गई है।

ये सभी पहलें पुलिस और समुदाय के बीच मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनसे न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि समाज में पुलिस की एक अच्छी छवि भी बनती है। ■

विकसित भारत के लिए पुलिसिंग रणनीति को आगे बढ़ाना होगा

5

से 7 जनवरी, 2024 तक जयपुर, में आयोजित पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए भारत के शीर्ष नेतृत्व और देश भर के पुलिस प्रमुखों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। इस वार्षिक सभा को इस वर्ष विशेष नजरिए से भी देखा गया, कारण यह तीन नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों की पृष्ठभूमि में हुई थी।

तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण और इस लक्ष्य को साकार करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा हुई। सम्मेलन में कई राज्यों के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के महानिदेशक, महानिरीक्षकों, एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए। अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस बलों की भूमिका की सराहना की और आधुनिकीकरण, सामुदायिक पहुंच एवं जनता के साथ विश्वास बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तकनीकी प्रगति के साथ-साथ पुलिसिंग में 'ह्यूमन टच' की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण विषयों और इन क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा के दौरान आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला, उभरते साइबर खतरों से निपटना, कट्टरवाद विरोधी प्रयासों और सोशल मीडिया के हथियारीकरण के समाधानों पर बात हुई।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से तीन दिवसीय सम्मेलन का संचालन किया। अपनी तीव्र अंतर्दृष्टि से पुलिस समुदाय को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने विशेष रूप से तीन नए आपराधिक कानूनों के दूरगामी प्रभाव और उनके उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसके लिए उन्होंने सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्व और स्थानीय पुलिस स्टेशन से पुलिस मुख्यालयों तक तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

इसने मानव तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध संपत्ति लेन-देन जैसी अन्य अवैध गतिविधियों में उपयोग के लिए पहचान दस्तावेजों को धोखाधड़ी से जारी करने से रोकने के उपायों के महत्व पर भी जोर दिया।

पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी को अपनाना एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। अपराधों की भविष्यवाणी और डेटा विश्लेषण के लिए



राजीव जैन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग सामने आया। ड्रोन और अन्य पुलिस उपकरणों की तैनाती से जुड़े लाभों और चुनौतियों का भी मूल्यांकन किया गया। उभरते साइबर खतरों की बढ़ती चिंता और महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। सम्मेलन में हाशिए पर रहने वाले कुछ समुदायों को मुख्यधारा में एकीकृत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। यह सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण और

वामपंथी चरमपंथियों के साथ उनके संभावित जुड़ाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

सम्मेलन में काफी संख्या में माओवादी तत्वों को अलग-थलग करने में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकार करते हुए, उनके समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने से लेकर विकास पहलों के विस्तार तक, एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

इसके अलावा, इस सम्मेलन में नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमाओं के पार से हो रही नशीली दवाओं की तस्करी के बढ़ते खतरे से निपटने के तरीकों की खोज की गई। यह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का मुख्य फोकस क्षेत्र रहा है। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संदर्भ में, माननीय प्रधानमंत्री ने 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण पर जोर दिया और सुझाव दिया कि पुलिस बलों को युवा दिमागों का मार्गदर्शन करने के लिए परिवारों, सामुदायिक समूहों और बुद्धिजीवियों को शामिल करना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि यह सम्मेलन देश के सुरक्षा परिदृश्य और इसे आगे ले जाने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता के लिए कितना महत्व रखता है। माननीय प्रधानमंत्री ने न केवल पिछले 10 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों में वार्षिक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलनों को आयोजित करने की पहल की है, बल्कि ऐसे प्रत्येक आयोजन को प्रतिनिधियों के साथ गणमान्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत बातचीत द्वारा पुलिसिंग मुद्दों की बेहतर समझ को सुविधाजनक बनाया है। 58वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन ने भारत के पुलिस नेतृत्व के लिए सुरक्षित और सुरक्षित भविष्य के लिए सहयोग और रणनीति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सामूहिक प्रयास, चर्चा किए गए उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण है। देश के समक्ष मौजूद बहुआयामी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में ऐसे आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं। ■

(लेखक आसचूना ब्यूरो (आईबी) के पूर्व निदेशक और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं)



केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे (महाराष्ट्र) की सुरक्षा संभाल ली है। 11 जनवरी, 2024 से संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हाथ में आ गई। अब देश में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा कवर के तहत कुल इकाइयां बढ़कर 358 हो गई हैं।

सेहत सबके लिए कितनी जरूरी है, इसकी एक छोटी बानगी नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में देखी गई। इस अस्पताल के सहयोग से 36 बटालियन बीएसएफ परिसर में एक कार्डियो-पल्मोनरी शिविर का आयोजन 8 जनवरी को किया गया। इस शिविर का उद्देश्य बल कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों की भलाई करना था। साथ ही यहां स्वास्थ्य निवारक देखभाल के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।



भारतीय तिब्बत पुलिस बल के कांस्टेबल रजनीकांत आचार्य ने वर्ष 2003 में जम्मू एवं कश्मीर में तैनाती के दौरान राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 41वीं वाहिनी में हिमवीरों की उपस्थिति में शहीद के नाम पर एक मार्ग का नामकरण किया गया। इसका लोकार्पण शहीद के माता-पिता के कर कमलों द्वारा किया गया।



यदि आपको कोई कॉल करें और ओटीपी या एटीएम का पिन मांगें तो नहीं दें। ऐसी कॉल्स स्कैम कॉल्स होती हैं। यदि आप ऐसी कॉल्स का उत्तर देते हैं, तो आपके खाते से पैसे चंपत हो जाएंगे। बेहतर होगा कि स्कैम कॉल्स को अनदेखा करें। इस बात से आपको सचेत किया गया है पुलिस एवं अनुसंधान विकास ब्यूरो के यूट्यूब चैनल 'पुलिस और सेवा' में। साइबर सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए फॉलो करें साइबर दोस्त।



भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

<https://bharatkeveer.gov.in>

दिशा-निर्देश

- ⇒ आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- ⇒ अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- ⇒ भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।



“

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एआई परिवर्तनकारी है, लेकिन इसे अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना हम पर निर्भर है। एआई पर भरोसा तभी बढ़ेगा, जब संबंधित नैतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

”



पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037